संख्या-46/2015/क0नि0-4-1537/11-2015-300(38)/2003

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 26 नवम्बर, 2015

विषयः- जनपद अलीगढ़ में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से क्रय की गयी भूमि पर वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-अलीगढ़-24-क0भ0निर्माण/2014-15/474 / वाणिज्य कर, दिनां क-23.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से क्रय की गयी भूमि पर वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष अनुमोदित लागत रू0 2244.57 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन, अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैः-

1. आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
2. परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/कमिश्नर, वाणिज्य कर का होगा।
4. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/कमिश्नर, वाणिज्य कर का होगा।
5. निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए शेष धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/ 2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1309-जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरेन्द कुमार वर्मा )
अनु सचिव।

संख्या- 46/2015/क0नि0-4-1537 (1) /11-2015 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार( लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,इलाहबाद।
2-महालेखाकार( लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़ ,उ0प्र0।
4-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5-परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0जल निगम, यूनिट-25, अलीगढ़।
6-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।